बैंक खाता खोलने के 6 आसान कदम

01

?

मैं बैंक खाता कैसे खोल सकता हूं?

यह बहुत आसान है। बैंक खाता खोलने के लिए आपको एक नवीन फोटोग्राफ के साथ 'पहचान और पते का प्रमाण' प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

02

?

मेरे द्वारा 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' के रूप में कौनसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं?

निम्नलिखित में से कोई एक:

- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड और
- नरेगा कार्ड

'पहचान के प्रमाण' के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी है तो यह 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' दोनों के रूप में कार्य कर सकता है।

03

?

यदि मैं चेन्नै में रह रहा हूं किंतु मेरे पते का प्रमाण मेरे नई दिल्ली के पते को दर्शाता है तो क्या मैं तब भी चेन्नै में खाता खोल सकता हूं?

निश्चित रूप से। आपके नई दिल्ली के पते के प्रमाण के साथ पत्राचार प्रयोजन के लिए चेन्नै के पते की घोषणा करनी होगी।

04

?

बैंकों को पहचान और पते के प्रमाण की आवश्यकता क्यों होती है?

बैंकों को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकता के भाग के रूप में आपके पहचान और पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है जिससे कि बैंक अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से जान सकें।

05

?

मैं क्या करूं, यदि मेरे पास मेरी 'पहचान का प्रमाण' दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है? क्या मैं तब भी बैंक खाता खोल सकता हूं?

निस्संदेह रूप से आप खाता खोल सकते हैं। आप अपना नवीन फोटोग्राफ प्रस्तुत कर और बैंक के अधिकारी के समक्ष अपना हस्ताक्षर कर या अंगूठे का निशान लगाकर खाता खोल सकते हैं जिसे 'लघु खाता' के रूप में जाना जाता है।

तथापि, इस 'लघु खाते' की कुछ सीमाएं हैं जैसे

किसी समय पर शेषराशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए

एक वर्ष में कुल जमा 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए

और कुल आहरण एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

06

?

मैं अपना खाता किसी प्रकार की सीमाओं के अधीन नहीं चाहता हूं। किंतु यदि मेरे पास मेरी 'पहचान का प्रमाण' दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, क्या मैं तब भी बैंक खाता खोल सकता हूं?

हां, यदि बैंक द्वारा आप 'कम जोखिम' के रूप में आकलित किए जाते हो तो आप निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना खाता खोल सकते हैं:

(1) केंद्रीय/राज्य सरकार विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी फोटोग्राफ वाला पहचान पत्र;

अथवा

(2) आपके विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,
फोर्ट, मुंबई - 400 001
www.rbi.org.in